न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 95/2017 दायरा दिनांक : 10.07.2017

उनवान

1— बालूसिंह, आयु 57 साल, दत्तक पुत्र हरि सिंह, जाति सौन्ध्या राजपूत, निवासी ग्राम बेड़ला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ मृतक जरिये कायम मुकामान :—

1/1— श्रीमती मोहन बाई, आयु 53 वर्ष विधवा पत्नी श्री बालूसिंह, जाति सौन्ध्या राजपूत, निवासी ग्राम बेड़ला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

1/2— राम सिंह आयु 32 वर्ष पुत्र श्री बालूसिंह, जाति सौन्ध्या राजपूत, निवासी ग्राम बेड़ला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

1/3— सुरेश सिंह आयु 27 वर्ष पुत्र श्री बालूसिंह, जाति सौन्ध्या राजपूत, निवासी ग्राम बेड़ला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1— रण सिंह आयु 62 साल आत्मज श्री भुवानीसिंह, जाति सौन्ध्या राजपूत, निवासी ग्राम बेड़ला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

2— तेज सिंह आयु 60 साल, आत्मज श्री भुवानीसिंह, जाति सौन्ध्या राजपूत, निवासी ग्राम बेड़ला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

3— नैन सिंह आयु 57 साल, आत्मज श्री भुवानीसिंह, जाति सौन्ध्या राजपूत, निवासी ग्राम बेड़ला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

4— मान सिंह आयु 50 साल, आत्मज श्री भुवानीसिंह, जाति सौन्ध्या राजपूत, निवासी ग्राम बेड़ला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

5— मदन सिंह आयु 47 साल, आत्मज श्री भुवानीसिंह, जाति सौन्ध्या राजपूत, निवासी ग्राम बेड़ला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

6— बलवन्त सिंह आयु 54 साल, आत्मज श्री भुवानीसिंह, जाति सौन्ध्या राजपूत, निवासी ग्राम बेड़ला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

7— भगवान बाई आयु 72 साल बेवा श्री भुवानीसिंह, जाति सौन्ध्या राजपूत, निवासी ग्राम बेड़ला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

8— सुरेश सिंह आयु 44 साल, आत्मज श्री हरि सिंह, जाति सौन्ध्या राजपूत, निवासी ग्राम बेड़ला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

9— बलवन्त सिंह, आयु 34 साल, आत्मज श्री हरि सिंह, जाति सौन्ध्या राजपूत, निवासी ग्राम बेड़ला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

10— धीरप सिंह, आयु 28 साल, आत्मज श्री हरि सिंह, जाति सौन्ध्या राजपूत, निवासी ग्राम बेड़ला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

11— फूल बाई, आयु 72 साल, बेवा श्री हरि सिंह, जाति सौन्ध्या राजपूत, निवासी ग्राम बेड़ला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड मृतक

12— प्रेम बाई आयु 67 साल, बेवा श्री हरि सिंह, जाति सौन्ध्या राजपूत, निवासी ग्राम बेड़ला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड मृतक

13— श्री भुवानी सिंह आयु 77 साल, आत्मज श्री शोभजी, जाति सौन्ध्या राजपूत, निवासी ग्राम बेड़ला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड मृतक जरिये कायम मुकामान :—

13/1— श्रीमती भगवान बाई, आयु 70 वर्ष विधवा पत्नी श्री भुवानी सिंह जाति सौन्ध्या राजपूत, निवासी ग्राम बेड़ला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

13/2— चैन सिंह, आयु 55 वर्ष पुत्र श्री भुवानी सिंह जाति सौन्ध्या राजपूत, निवासी ग्राम बेड़ला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

13/3— सरदार सिंह, आयु 53 वर्ष पुत्र श्री भुवानी सिंह जाति सौन्ध्या राजपूत, निवासी ग्राम बेड़ला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

13/4— मानसिंह आयु 50 वर्ष पुत्र श्री भुवानी सिंह जाति सौन्ध्या राजपूत, निवासी ग्राम बेड़ला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

13/5— रेशमाबाई आयु 48 वर्ष पुत्री श्री भुवानी सिंह पत्नी रतन सिंह, जाति सौन्ध्या राजपूत, निवासी ग्राम बडलिया बावनी, तहसील गरोठ, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश

13/6— प्रेमबाई आयु 45 वर्ष पुत्री श्री भुवानीसिंह पत्नी कैलाश चन्द, जाति सौन्ध्या राजपूत, निवासी ग्राम कागडिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

14— किशनबाई आयु 61 साल पत्नी श्री बापू सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम हनुमान निपानिया, तहसील बडोद, जिला आगर मध्यप्रदेश

15— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सा0 तहसील गंगधार, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री संजय सक्सैना अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री तंवर सिंह झाला अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 26.11.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या – 136/2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 21.06.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादग्रस्त आराजी हरिसिंह पुत्र गुलाब सिंह, भुवानी सिंह आत्मज अमर सिंह, हरि सिंह आत्मज शोभ सिंहके कब्जे काश्त व बराबर हिस्से की शामलाती आराजी है । अपीलांट बालू सिंह खातेदार हरिसिंह पुत्र शोभ सिंह का दत्तक पुत्र है इस बाबत रजिस्टर्ड गोदनामा भी लिखा हुआ है । हरि सिंह पुत्र शोभ सिंह के हिस्से की आराजी पर अपीलांट का ही कब्जा है लेकिन रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 7 ने इस तथ्य को छुपाते हुए अपीलांट को बिना पक्षकार बनाये राजस्व लोक अदालत में सभी पक्षकारों की उपस्थिति के बिना ही निर्णय व डिक्री जारी कर दी । अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र भी दिया था परन्तु उसे रेकार्ड पर नहीं लिया गया । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने में कानूनी त्रुटि की है जो विधि विरूद्ध है । इसके अतिरिक्त रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में उपरोक्त प्रकरण में पेशी दिनांक 30.03.2016 को पेश दिनांक 04.05.2016 दी गई थी । दिनांक 04.05.2017 तक कोई तारीख पेशी नहीं दी गई और इसके बाद अचानक दिनांक 21.06.2017 को प्रकरण में निर्णय व डिक्री पारित की गई है जिसमें अपीलांट की किसी प्रकार की सहमति नहीं थी । अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बिना किसी आधार के एवं कानूनी रूप से गलत है । अपीलांट खातेदार हरिसिंह पुत्र शोभ सिंह का दत्तक पुत्र है इस बाबत रजिस्टर्ड गोदनामा भी लिखा हुआ है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य को नजर अन्दाज किया गया है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे एवं पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को पुनः रिमाण्ड की

जावे एवं अपीलांट को प्रकरण में पक्षकार बनाकर पुनः सुनवायी की जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । उभयपक्षीय बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि 30.03.2016 से 21.06.2017 में पत्रावली सीधे लोक अदालत में निर्णीत कर दी गई । सभी पक्षकारों के राजीनामे पर हस्ताक्षर नहीं करवाये गये । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि रजिस्टर्ड गोदनामा 2007 का है तब से आज तक अपीलांट द्वारा इसको जमाबंदी में दर्ज नहीं करवाया गया । अपीलांट द्वारा प्रार्थी बनाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया यह गलत है और जिन लोगों के राजीनामे पर हस्ताक्षर नहीं है उनमें से कोई भी अपील में नहीं आये हैं । अतः अपीलांट की यह अपील खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उसमें दस्तावेजी साक्ष्यों के अलावा उपर्युक्त विवादित आराजी में हरिसिंह वल्द गुलाब सिंह, भवानी सिंह वल्द अमरसिंह व हरिसिंह वल्द शोभ सिंह 1/3–1/3 हिस्से के अनुमसार जमाबंदी सम्वत 2022–25 में सहखातेदार हैं । जमाबंदी सम्वत 2070–73 में उपरोक्त विवादित आराजी हरिसिंह पिता गुलाब सिंह हिस्सा 2/3 भवानी सिंह पिता अमर सिंह एवं हरिसिंह पुत्र शोभ सिंह हिस्सा 1/3 दर्ज किया जाना पाया जाता है । चूंकि उपरोक्त विवादित आराजी सैटलमेंट से पूर्व वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सहखातेदारी

में इनके 1/3 – 1/3 हिस्से के अनुसार दर्ज है । इससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य 1/3 – 1/3 हिस्से का जो खातेदार कृषक घोषित किया गया है वह सही है परन्तु अपीलांट द्वारा स्वयं को हरिसिंह पुत्र शोभ सिंह का दत्तक पुत्र बताया गया है जिसके सम्बन्ध में निर्णय में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, न ही इस सम्बन्ध में कोई विवेचना की गई है इस न्यायालय में अपीलांट द्वारा गोदनामे की प्रति पेश की गई है । अपीलांट हरिसिंह वल्द शोभ सिंह का दत्तक पुत्र है अथवा नहीं इसके सम्बन्ध में जोच किया जाना उचित होगा । राजीनामा जो पेश किया गया है उसमें समस्त वादी एवं प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर नहीं हैं जो उचित नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की तनकी अथवा साक्ष्य प्रतिवादी पत्रावली पर नहीं लिये गये हैं । बिना तथ्यों की जांच किये सिर्फ कुछ पक्षकारों के द्वारा पेश राजीनामे के आधार पर ही निर्णय पारित कर दिया गया है जो उचित नहीं है एवं विधि सम्मत भी नहीं है । अपीलांट को सुनवायी का अवसर दिया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुकूल होगा ।

लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो । उसके अभाव में सी पी सी के प्रावधानों के अनुसार जवाब दावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है, इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.06.2017 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को पक्षकार बनाकर सुनवायी का अवसर

प्रदान करें जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पक्ष में एवं पुनः सभी पक्षकारों की उपस्थिति में तथ्यों की पूर्ण रूप से विवेचना करते हुए पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाना सुनिश्चित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.02.2019 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा